भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2567
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)
शेल कंपनियों द्वारा फर्जीवाड़ा

2567. श्री रवीन्द्र कुमार जेना :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमुद्रीकरण के पश्चात् कुछ शेल कंपनियों ने नवंबर-दिसंबर, 2016 के दौरान लगभग 3900 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी कम से कम ऐसे 54 व्यक्तियों की पहचान की है जिन्होंने अवैध नकदी के शोधन में 559 लोगों की मदद की और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार विमुद्रीकरण के पश्चात् इस मामले को हल करने के लिए पूर्णतः तैयार नहीं थी; और
(घ) यदि हां, तो दोषियों की पहचान करने और उन्हें दण्डित करने तथा धोखाधड़ी की इस प्रकार की गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): 'शेल कंपनियां' वाक्यांश को कंपनी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, एसएफआईओ द्वारा की गई जांच में यह पाया गया था कि वर्ष 2004-05 से अगस्त, 2010 की अवधि के दौरान 11 कंपनियों के एक समूह ने 3790 करोड़ रुपए का धन शोधन किया था।

(ग): एसएफआईओ ने एक जांच के दौरान ऐसे 54 व्यावसायिकों की पहचान की है जिन्होंने अवैध नगदी के शोधन में 559 लाभार्थियों की सहायता की। इन व्यावसायिकों में 34 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 कंपनी सचिव, 4 अधिवक्ता और 13 अन्य शामिल थे।

(घ): अवैध नगदी के शोधन से संबंधित मामले प्रवर्तन निदेशालय, राज्यों की आर्थिक अपराध शाखाओं, आयकर प्राधिकरण आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा देखे जा रहे हैं।

*****